

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 461 / 2025 दिनांक : 12.02.2025


श्रीमती स्वाति व्यास (RJ00833), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक 04 दिनों परावर्तित अवकाश ।
2. दिनांक 13.12.2024 का 01 दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.12.2024 से 15.12.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्रीमती व्यास की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



11/02/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/03/2015/1223

दिनांक : 12.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 517 दिनांक 22.01.2025 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती स्वाति व्यास (RJ00833), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट कम-19, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय-चाकसू) ।


12/02/25
सहायक रजिस्ट्रार